निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 अग्रहायण 1942 (श0)

(सं0 पटना 901) पटना, मंगलवार, 24 नवम्बर 2020

lalnh; dk;Z foHkkx

vf/klwpuk

17 नवम्बर 2020

सं० सं0का0–1/वि0मं0(सत्र)01–03/2020–*639*—बिहार राज्यपाल का दिनांक 17.11.2020 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

^^Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 174 ds [k.M ¼1½ ds }kjk iznÙk 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] eSa] Qkxw pkSgku] fcgkj dk jkT;iky] blds }kjk fcgkj fo/kku lHkk dk fnukad 23 uoEcj] 2020 dks 11-00 cts iwokZgu esa fcgkj fo/kku eaMy ds foLrkfjr Hkou ds lsUVªy gkWy] iVuk esa vf/kosf'kr gksus ds fy;s vkgwr djrk gwWaA

Qkxw pkSgku]
jkT;iky] fcgkjA**

iVuk]
fnukad 17-11-2020-

lqjs'k ikloku]
ljdkj ds vij lfpoA

17 नवम्बर 2020

सं० सं0का0–1/वि0मं0(सत्र)01–03/2020–*640*/अधिसूचना संख्या–639 दिनांक 17 uoEcj 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
lqjs'k ikloku]
ljdkj ds vij lfpoA

The 17th November 2020

No.-P.A.-1/V.M.(Session)-01-03/2020-***639***–The following order of the Governor of Bihar dated the 17-11-2020 is hereby published for general information :

"In exercise of the powers under clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Phagu Chauhan, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Assembly to meet at 11.00 A.M. on the 23rd November, 2020 in the Central Hall of Bihar Legislature extension building at Patna.

Patna, **Phagu Chauhan**
Dated 17-11-2020 ***Governor of Bihar."***

Suresh Paswan,
Additional Secretary to Government.

lIrn'k fcgkj fo/kku lHkk d iFke l= dk vkicf/kd dk;Øe
uoEcj] 2020

सोमवार, दिनांक 23, नवम्बर, 2020		नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–188 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण।
मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2020		सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण।
बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर 2020		बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन।
वृहस्पतिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2020	1	भारत संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अधीन 11:30 बजे पूर्वाहन में बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत बैठक में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण।
	2	विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
	3	शोक–प्रकाश (यदि हो)।
शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2020		महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद एवं सरकार का उत्तर।

lj'k ikloku]
ljdkj d vij lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 901-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in